

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चोमू, जिला जयपुर  
पीठासीन अधिकारी :- हिम्मत सिंह  
वाद सं. 251/2015

### उनवान

1. सतपाल पुत्र किशना
2. नानूराम पुत्र किशना
3. शंकर पुत्र किशना

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम देवपुरा, तन टांकरडा, तह. चोमू, जिला जयपुर।

वादीगण

### बनाम

1. बाबूलाल पुत्र स्व. केशरा
2. आिमप्रकाश पुत्र स्व. केशरा
3. दौलतराम पुत्र स्व. मदनलाल
4. कानाराम पुत्र स्व. मदनलाल
5. सुण्डाराम पुत्र स्व. मदनलाल
6. फूलचन्द पुत्र स्व. मदनलाल
7. सोनी देवी पत्नि स्व. मदन लाल
8. केलादेवी पुत्रिया स्व. मदन लाल
9. सुमित्रा देवी पुत्रिया स्व. मदन लाल
10. हंसा देवी पुत्रिया स्व. मदन लाल
11. विनोद देवी पुत्रिया स्व. मदन लाल
12. गोपाल पुत्र लालाराम
13. प्रभात पुत्र कानाराम

समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम देवपुरा, तन टांकरडा, तह. चोमू, जिला जयपुर।

14. त्रिवेणी देवी पत्नि श्रवण कुमार जाति महाजन, निवासी रावतों का मोहल्ला, कस्बा चोमू, जिला जयपुर।
  15. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय चोमू, तह. चोमू।
  16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह. चोमू, जिला जयपुर।
  17. छोटूराम पुत्र किशना
  18. रामू पुत्र किशना
  - 19/1 बलराम पुत्र रामदयाल
  - 19/2 बनवारी पुत्र रामदयाल
  - 19/3 कमली पुत्री रामदयाल
  - 19/4 सुप्यार पुत्री रामदयाल
- समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम नांगल भरडा, तह. चोमू, जिला जयपुर।
20. नानी पुत्री किशना
  21. सरजू पुत्री किशना
  22. जोला पुत्री किशना
- समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम देवपुरा, तन टांकरडा तह. चोमू, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

### दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक - 20.09.2019

पत्रावली पेश हुई। वादीगण ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया है वादीगण कार्तकार पेशा व्यक्ति है तथा कृषि भूमि ग्राम देवपुरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर में स्थित है, जिससे कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ

उपखण्ड अधिकारी  
जिला जयपुर

रहा है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा 14 व प्रतिवादीगण संख्या 17 ता 22 की शामिलती कृषि भूमि खाता सं. नया 33 आराजी खसरा नम्बर 886/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 889/2 रकबा 0.81 हैक्ट., खसरा नम्बर 890/2 रकबा 0.04 हैक्ट. कुल किता 3 का कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर जिसमें वादीगण का हिस्सा 6/20 भाग का हिस्सा 3/5 भाग अर्थात कुल हिस्सा 18/100 भाग निहित है एवं खाता संख्या नया 34 आराजी खसरा नम्बर 870 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 871 रकबा 1.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 873 रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 874 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 875 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 877 रकबा 1.95 हैक्टेयर, कुल किता 6 का कुल रकबा 6.72 हैक्टेयर जिसमें वादीगण का हिस्सा 9/20 भाग का हिस्सा 3/5 भाग अर्थात कुल हिस्सा 27/100 भाग निहित है इसी प्रकार खाता संख्या नया 35 आराजी खसरा नम्बर 868 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 869 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 872 रकबा 1.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 876 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 878 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 879 रकबा 2.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 881 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 882 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 884 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 885 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 886/1 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 887 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 888 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 889/1 रकबा 1.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 890/1 रकबा 1.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 891 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 892 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 893 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 894 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 895 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 22 का कुल रकबा 11.65 हैक्टेयर जिसमें वादीगण का हिस्सा 9/20 भाग का हिस्सा 3/5 भाग अर्थात कुल हिस्सा 27/100 भाग निहित हैं। वादीगण के हिस्से के अतिरिक्त शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 व 17 ता 22 का है।

उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगा 14 व 17 ता 22 की शामिलती कृषि भूमि हैं। जिसका विधिवत कानूनी विभाजन नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादीगण सं. 1 लगा 14 व 17 ता 22 को कहा कि वाद पत्र में वर्णित उक्त शामिलती कृषि भूमि का विधिवत तकासमा करवा कर पृथक से स्वयं के नाम अलग-अलग पर्चा लगान कायम करवा लेवें तथा अच्छी बूरी के आधार पर अर्थात नर-मादा के हिसाब से शामिलती कृषि भूमि का बटवारा हो जावें परन्तु प्रतिवादीगण सं. 1 लगा 14 व 17 ता 22 हमेशा ही वादीगण की उक्त बात को नजर अन्दाज करते रहे है क्योंकि उनकी नियत बदल गई और भूमि को अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान हस्तान्तरण एवं विशिष्ट भू-भाग पर निर्माण करने, जमीन से मिट्टी उठाकर बेचान करने पर आमादा हो गये।

वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण शामिल डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण सं. 1 लगा 14 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्ध फरमाया जावें कि वाद पत्र में कृषि भूमि का बिना विधिवत तकासमा करवायें किसी भी विशिष्ट भू-भाग का बेचान हस्तान्तरण, रहन अन्य दीगर व्यक्तियों को न ही करें, ना ही विशिष्ट भू-भाग पर कोई निर्माण सामग्री डाले, ना ही निर्माण कार्य ही करें, ना ही शामिलती भूमि से मिट्टी उठाये, ना ही मिट्टी का बेचान करें, हरे फलदार वृक्षों को नहीं काटे, तथा वादीगण के हिस्से

अधिकारी  
जयपुर

की कृषि भूमि में वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, ना ही मौका स्थिति में परिवर्तन करे, ना ही जोर-जबरदस्ती से बेदखल करें, प्रतिवादीगण सं. 15 को इस कदर पाबन्ध फरमाया जावे कि उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेख पत्र, विक्रय पत्र तस्दीक नहीं करें, प्रतिवादीगण सं. 16 उक्त के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं करें उक्त कार्यवाही ना ही तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमेन के जरिये करवाये।

प्रतिवादीगण संख्या 17 व 18 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बरान वाके ग्राम देवपुरा, तहसील चोमू जिला जयपुर में स्थित होना मात्र स्वीकार है जिस में मिन उत्तरदाता व वादीगण के अतिरिक्त प्रतिवादीगण 19 ता 22 के पिता किशना का 1/2 हिस्सा है अर्थात उक्त 1/2 हिस्से के मालिक स्वामी काविजदार है। किन्तु शेष इबारत गलत होने से अस्वीकार है। उक्त भूमि को कतई गलत रूप से विवादित होना आरोपित किया है, भूमि कतई भी विवादित नहीं है।

वाद पत्र में वर्णित भूमि शामलाती कृषि भूमि होना एवं विधिवत तकासमा नहीं होना मात्र स्वीकार है। मन प्रतिवादीगण पूर्व में भी तकासमा करवाने हेतु तैयार एवं तत्पर रहे हैं एवं वर्तमान में भी तैयार एवं तत्पर है। जिसमें वादीगण व मिन उत्तरदातागण व प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 22 के पिता का 1/2 हिस्सा निहित है इस प्रकार से सामुहिक 1/2 हिस्से का बंटवारा किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है।

किशना के वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 17 ता 22 का विवादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा व केसरा के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 व इनके द्वारा विकित भूमि के पक्षकार प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 14 जिनका हिस्सा भूमि विवादग्रस्त में 1/2 है, इस हिस्से अनुसार ही विवादग्रस्त भूमि का बंटवारा तकासमा किया जावे।

अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मन प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को डिकी किया जाकर उक्त भूमि का विभाजन किये जाने में मन प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादीगण व वाद पत्र के प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा हो गया, जिसके अनुसार वाद पत्र की विवादग्रस्त शामलाती भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र में किया गया है, जो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 17 ता 22 के पिता किशना पुत्र गणेश का 1/2 हिस्सा है तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के पिता/दादा/ससुर केसरा पुत्र गणेश का हिस्सा निहित रहा था। वर्तमान में 1/2 हिस्सा किशना के वारिसान एवं 1/2 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 तथा प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 14 का दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व प्रतिवादीगण संख्या 17 व 18 ने आपसी सहमति से मौके पर नपती कर व नक्शा तैयार कर राजस्व रिकार्ड के अनुसार लिखित में बंटवारानामा 500/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख कर तहरीर व तकमील कर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवा लिया है, उक्त बंटवारेनाम के अनुसार उक्त वर्णित

उपनिवेदित शर्तियां  
श्री. जिला जयपुर

भूमि में 1/2 हिस्सा स्व० किशाना के वारिसान का तथा 1/2 हिस्सा स्व० केसारा के वारिसान का तथा कंतागण का निहित चला आ रहा है। जिसके अनुसार ही वर्तमान में मौके पर कब्जा काशत है।

अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मन प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को डिकी किया जाकर उक्त भूमि का विभाजन पक्षकारान के मध्य हुये लिखित बंटवारेनामा अनुसार किये जाने में मन प्रतिवादीगण को किसी प्रकार कोई एतराज नहीं है।

प्रतिवादीगण संख्या 3 ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि मन प्रतिवादी को दबाव में लेकर प्रशासन गांवो के संग अभियान में जो राजीनामा/इकरारनामा तहरीर व तकमील किया गया है उसमें पटवारी हल्का व वादीगण ने मिलीभगत कर गलत कुरेजात व नक्शा तैयार किया है, इसलिये यदि मौके पर मन प्रतिवादी संख्या 3 के कब्जे को प्राथमिकता देते हुये अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के आधार पर व सडक के पास वाली भूमि में भी अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी व पक्षकारान के मकान के अनुसार मकान के पास वाली भूमि पक्षकार को स्वयं को दी जाकर तकासमा किया जाता है, तो मन प्रतिवादी तैया है अन्यथा उक्त लिखावट के आधार पर तकासमा हेतु तैयार नहीं है।

वादीगण ने उक्त वाद पत्र मात्र मन प्रतिवादी को हैरान व परेशान करने की गरज से गलत एवं मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत किया है। वादीगण मान्य न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं। वादीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

वादीगण को दिनांक 02.11.2015 को अथवा अन्य किसी दिन कोई वाद कारण उदित नहीं हुआ है। वादीगण का वाद पत्र बिना कोई वाद कारण उदित हुये चलने योग्य नहीं होने से इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 12 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व 12 ने भूमि खसरा नम्बर 870, 871, 873, 874, 875, 877 कुल कित्ता 6 का कुल रकबा 6.72 हैक्टेयर वाके ग्राम देवपुरा पटवार हल्का टाकरडा, तहसील चोमू का हिस्सा 16/672 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 24.05.2007 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जो भूमि रास्ते हेतु 9 फीट (3 मीटर) चौड़ा व 533 मीटर लम्बाई में रास्ते हेतु जो उक्त खसरा नम्बर में से खसरा नम्बर 870, 871 के दक्षिणी सीमा पर खसरा नम्बर 873, 874, 875, 877 के पश्चिमी सीमा पर खसरा नम्बर 873, 874 875, 877 के पश्चिमी सीमा पर कंतागण की खातेदारी भूमि तक जाता है। जो सलग्न बल्यू प्रिन्ट नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है। का मौका व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार तकासमा किये जाकर पर्चा लगान अलग से कायम किया जावे। व राजस्व रिकार्ड व हाल नक्शे में रास्ता तरमीम करवाया जावे।

वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व 12 को खातेदारी भूमियों तक आने जाने के एक मात्र रास्ता जो खसरा नम्बर 870, 871, 873, 874, 875, 877 कुल कित्ता 6 का कुल रकबा 6.72 हैक्टेयर वाके ग्राम देवपुरा पटवार हल्का टाकरडा, तहसील चोमू के हिस्सा 16/672 जो कि जवाब दावे के साथ सलग्न नक्शे में प्रदर्शित पीले रंग से दर्शाये गये रास्ते में आने जाने में

उपखण्ड अभिलेखी  
चौमू, जिला जयपुर

रूकावट नही करे, ना ही रास्ता अवरुद्ध करे, ना ही अतिक्रमण करे तथा मौका स्थिति में परिवर्तन नही करे, ना तो उक्त कार्यवाही स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमेन से करवाये।

अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 12 का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर मुताबिक काउन्टर क्लेम अनुसार वाद पत्र डिक्री फरमाया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई जिसमें अधिवक्ता वादी ने बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स तकासमा करने हेतु सहमति जाहिर की। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा जवाब दावा, रिकार्ड व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण का उक्त विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। प्रत्येक सहखातेदार को अपने हिस्से की भूमि का तकासमा करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है।

अतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रा० डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 886/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 889/2 रकबा 0.81 हैक्ट, खसरा नम्बर 890/2 रकबा 0.04 हैक्ट कुल किता 3 का कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर एवं आराजी खसरा नम्बर 870 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 871 रकबा 1.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 873 रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 874 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 875 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 877 रकबा 1.95 हैक्टेयर, कुल किता 6 का कुल रकबा 6.72 हैक्टेयर तथा आराजी खसरा नम्बर 868 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 869 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 872 रकबा 1.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 876 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 878 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 879 रकबा 2.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 881 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 882 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 884 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 885 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 886/1 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 887 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 888 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 889/1 रकबा 1.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 890/1 रकबा 1.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 891 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 892 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 893 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 894 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 895 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 22 का कुल रकबा 11.65 हैक्टेयर वाके ग्राम देवपुरा, पटवार हल्का टाकरडा, भू-अभिलेख निरीक्षक हल्का कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य उनके दर्ज हिस्से अनुसार कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये, रहवास एवं रास्ते को मध्यनजर रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा कर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रा. डिक्री जारी हो। प्रा. डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमू को भेजी जावे।

निर्णय आज तारीख 20.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हिमना किराणिकारा  
उपखण्ड अधिवक्ता जयपुर  
उपखण्ड अधिवक्ता चौमू, जयपुर

**प्रारम्भिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई**  
(ऑ 20 रुल्स 6 व 7 जाटा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चोमू व  
अजलास हिम्मत सिंह आरएएस

1. सतपाल पुत्र किशना
2. नानूराम पुत्र किशना
3. शकर पुत्र किशना

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम देवपुरा, तन टांकरडा, तह. चोमू, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र स्व. केशरा
2. आमप्रकाश पुत्र स्व. केशरा
3. दौलतराम पुत्र स्व. मदनलाल
4. कानाराम पुत्र स्व. मदनलाल
5. सुण्डाराम पुत्र स्व. मदनलाल
6. फूलचन्द पुत्र स्व. मदनलाल
7. सोनी देवी पत्नि स्व. मदन लाल
8. केलादेवी पुत्रिया स्व. मदन लाल
9. सुमित्रा देवी पुत्रिया स्व. मदन लाल
10. हंसा देवी पुत्रिया स्व. मदन लाल
11. विनोद देवी पुत्रिया स्व. मदन लाल
12. गोपाल पुत्र लालाराम
13. प्रभात पुत्र कानाराम

समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम देवपुरा, तन टांकरडा, तह. चोमू, जिला जयपुर।

14. त्रिवेणी देवी पत्नि श्रवण कुमार जाति महाजन, निवासी रावतों का मोहल्ला, करवा चो, जिला जयपुर।
15. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय चोमू, तह. चोमू।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह. चोमू, जिला जयपुर।
17. छोटूराम पुत्र किशना
18. रामू पुत्र किशना
- 19/1 बलराम पुत्र रामदयाल
- 19/2 बनवारी पुत्र रामदयाल
- 19/3 कमली पुत्री रामदयाल
- 19/4 सुभ्यार पुत्री रामदयाल

समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम नांगल भरडा, तह. चोमू, जिला जयपुर।

20. नानी पुत्री किशना
21. सरजू पुत्री किशना
22. जोला पुत्री किशना

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम देवपुरा, तन टांकरडा तह. चोमू, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी  
चोमू, जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर - 251/2015

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू यादी मिन जामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रा0 डिक्की दी जाती है कि उक्त विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 886/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 889/2 रकबा 0.81 हैक्ट, खसरा नम्बर 890/2 रकबा 0.04 हैक्ट कुल किता 3 का कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर एवं आराजी खसरा नम्बर 870 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 871 रकबा 1.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 873 रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 874 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 875 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 877 रकबा 1.95 हैक्टेयर, कुल किता 6 का कुल रकबा 6.72 हैक्टेयर तथा आराजी खसरा नम्बर 868 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 869 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 872 रकबा 1.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 876 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 878 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 879 रकबा 2.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 881 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 882 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 884 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 885 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 886/1 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 887 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 888 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 889/1 रकबा 1.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 890/1 रकबा 1.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 891 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 892 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 893 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 894 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 895 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 22 का कुल रकबा 11.65 हैक्टेयर वाके ग्राम देवपुरा, पटवार हल्का टांकरडा, भू-अभिलेख निरीक्षक हल्का कालाडेरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य उनके दर्ज हिस्से अनुसार कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये, रहवास एवं रास्ते को मध्यनजर रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा कर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रा. डिक्की की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चोमू को भेजी जावें।

बसत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 20.09.2019 को जारी किया



दस्तखत  
 ओहदा

*(Signature)*  
 पुष्पखण्ड आनिनारी  
 जिला जयपुर

मुदद	रुपये	पैसे	मुदाईला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प वकालतनामा	6	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीसकमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	6	

नोट-इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

